



**ESTABLISHMENT-V SECTION
ICAR-NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE
KARNAL-132001 (HR.)**

स्थापना-5 अनुभाग
भा0 कृ0 अनु0 परि0-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान
करनाल-132001

फा. स.15-11/96/EV/(Coord.)/146/162-78

दिनांक: 23.07.2026

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण हेतु आंतरिक समिति (Internal Committee) का पुनर्गठन। Reconstitution of the Internal Committee for Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Workplace.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों के निवारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (Vishaka & Others vs. State of Rajasthan & Others)* मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के डी.ओ. पत्र संख्या 14-30/2000-WW दिनांक 09.11.2001, तत्पश्चात मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.05.2016 [Clause 4(d) एवं 5] तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतिकार) अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुपालन में, पूर्व में जारी सभी कार्यालय आदेशों का अधिलंघन करते हुए, निदेशक, आईसीएआर-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को निम्नानुसार आंतरिक समिति (Internal Committee) (पूर्व में महिला शिकायत निवारण समिति) का पुनर्गठन करते हुए प्रसन्नता हुई है:

In pursuance of D.O. Letter No. 14-30/2000-WW dated 09.11.2001 received from the Secretary, Ministry of Human Resource Development (now Ministry of Education), Government of India, regarding implementation of the guidelines laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Vishaka & Others vs. State of Rajasthan & Others, and in accordance with the MHRD, Government of India Notification dated 02.05.2016 [Clauses 4(d) & 5], read with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Rules framed thereunder and amendments issued from time to time, the Director, ICAR-NDRI, Karnal, has been pleased to reconstitute the Internal Committee (IC) (earlier known as the Women's Grievance Redressal Committee) with immediate effect, in supersession of all earlier Office Orders, as under:

क्र.सं./Sr.No.	नाम एवं पदनाम / Name & Designation	पद / Position
1.	डॉ. सुमन कपिला, प्रधान वैज्ञानिक, ए.बी.सी. प्रभाग / Dr. Suman Kapila, Principal Scientist, ABC Division	अध्यक्ष/Chairperson
2.	डॉ. चांद राम, प्रधान वैज्ञानिक, डी एम. प्रभाग / Dr. Chand Ram, Principal scientist, D.M Division	सदस्य/Member
3.	डॉ. रानी अलेक्स, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ए.जी.बी. प्रभाग / Dr. Rani Alex, Senior Scientist, AGB Division	सदस्य/Member
4.	डॉ. अजीत रुंडला, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एक्सपेरिमेंटल डेयरी / Dr. Ajit Rundla, Senior Technical Officer, Experimental Dairy	सदस्य/Member
5.	सुश्री सिमरनजीत कौर लाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ Ms. Simranjeet Kaur Lall, Assistant Administrative Officer	सदस्य/Member
6.	सुश्री तरुषी त्यागी, पीएच.डी. शोधार्थी एवं अध्यक्ष, छात्र परिषद / Ms. Tarushi Tyagi, Ph.D. Scholar & President, Students' Council	सदस्य/Member
7.	सुश्री अंजलि, बी.टेक. (द्वितीय वर्ष) एवं संयुक्त सचिव, छात्र परिषद / Ms. Anjali, B.Tech. (Second Year) & Joint Secretary, Students' Council	सदस्य/Member
8.	सुश्री सपना रानी, एम.टेक. (डेयरी माइक्रोबायोलॉजी), प्रथम वर्ष / Ms. Sapna Rani, M.Tech. (Dairy Microbiology), First Year	सदस्य/Member
9.	श्रीमती रीता राय, शुरुआत समिति (एनजीओ), मकान नं. 1686, सेक्टर-9, करनाल (हरियाणा) / Smt. Rita Rai, Shuruat Samiti (NGO), H. No. 1686, Sector-9, Karnal (Haryana)	बाह्य सदस्य/External Member
10.	डॉ. अनुराधा भारद्वाज, प्रधान वैज्ञानिक, पशु जैव-प्रौद्योगिकी प्रभाग / Dr. Anuradha Bhardwaj, Principal Scientist, Animal Biotechnology Division	सदस्यसचिव/Member-Secretary

अनुसंधान
23/7/26

आंतरिक समिति, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं भारत सरकार/आईसीएआर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी शक्तियों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी।

The Internal Committee shall discharge its functions and exercise its powers strictly in accordance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Rules framed thereunder, and the instructions/guidelines issued by the Government of India and ICAR from time to time.

इसके अतिरिक्त, डॉ. सुमन कपिला, प्रधान वैज्ञानिक, ए.बी.सी. प्रभाग तथा आंतरिक समिति की अध्यक्ष, समिति की नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगी।

Further, Dr. Suman Kapila, Principal Scientist, ABC Division and Chairperson of the Internal Committee, shall also function as the Nodal Officer of the Committee.

(यह निदेशक, आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल के अनुमोदन से जारी किया जाता है।)

(This issues with the approval of the Director, ICAR-NDRI, Karnal.)

गुरजीत सिंह
23/7/2024

(गुरजीत सिंह)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण / Distribution:

1. सभी आंतरिक समिति के सदस्यों को। All Members of the Internal Committee.
2. श्रीमती रीता राय, शुरुआत समिति (एनजीओ), मकान नं. 1686, सेक्टर-9, करनाल (हरियाणा)। Smt. Rita Rai, Shuruat Samiti (NGO), H. No. 1686, Sector-9, Karnal (Haryana).
3. डॉ. शिल्पा विज, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, डी.एम. प्रभाग, आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल। Dr. Shilpa Vij, PS & Head, D.M. Division, ICAR-NDRI, Karnal.
4. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष, आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल—अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में व्यापक प्रसार हेतु। All Heads of Divisions/Sections, ICAR-NDRI, Karnal, for circulation among all officers and staff working under their control.
5. प्रधान निजी सचिव, निदेशक, आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल—निदेशक महोदय की जानकारी हेतु। PPS to the Director, ICAR-NDRI, Karnal, for kind information of the Director.
6. प्रधान निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल—संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की जानकारी हेतु। PPS to the Joint Director (Administration), ICAR-NDRI, Karnal, for kind information of the Joint Director (Administration).
7. अध्यक्ष/प्रभारी, दक्षिण क्षेत्रीय स्टेशन (SRS), बेंगलुरु तथा पूर्वी क्षेत्रीय स्टेशन (ERS), कल्याणी। Head, Southern Regional Station (SRS), Bengaluru and Head, Eastern Regional Station (ERS), Kalyani.
8. प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र—संस्थान की वेबसाइट एवं ई-ऑफिस सूचना पट्ट पर अपलोड करने हेतु। In-charge, Computer Centre, for uploading the Office Order on the Institute Website and e-Office Notice Board.
9. कार्यालय प्रति/गार्डफाइल। Office Copy/Guard File.